



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 167-2019/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, OCTOBER 1, 2019 (ASVINA 9, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 अक्टूबर, 2019

संख्या 89/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 9 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 48/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 48/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, सारणी में, -

- (i) क्रम संख्या 9 और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"9	किसी संगीतकार, फोटोग्राफर, कलाकार और उसी प्रकार के अन्य व्यक्ति द्वारा किसी मूल ड्रामेटिक या म्यूजिकल या आर्टिस्टिक रचना से संबंधित प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम 14) की धारा 13 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत आने वाले कापीराइट की किसी संगीत कंपनी, प्रोड्यूसर या इसी प्रकार के व्यक्ति को अंतरण करने या उसके उपयोग या उपभोग की अनुमति देकर की जाने वाली सेवाओं का प्रदाय I	संगीतकार, फोटोग्राफर, कलाकार या इसी प्रकार के व्यक्ति।	कराधेय क्षेत्र में अवस्थित संगीत कंपनी, प्रोड्यूसर या इसी प्रकार के व्यक्ति।
"9क	किसी लेखक द्वारा अपने मूल साहित्यिक रचना से संबंधित किसी प्रकाशक को प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम 14) की धारा 13 की उप धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत आने वाले कापीराइट का अंतरण करने या उसके उपयोग या उपभोग की अनुमति देकर की जाने वाली सेवा का प्रदाय।	लेखक	कराधेय भू-क्षेत्र में अवस्थित प्रकाशक: बशर्ते कि इस प्रविष्टि में दी गई कोई भी बात वहां लागू नहीं होगी जहां,- (i) लेखक ने हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

		(2017 का 19), के अधीन पंजीकरण लिया है, और अधिकारिता वाले केन्द्रीय कर आयुक्त या राज्य कर आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष अनुबंध I में दिए गए प्ररूप में, उसमें विहित समय-सीमा के भीतर, यह कि वह खाना (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सेवा पर हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 9 की उपधारा (1) के अनुसार फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत राज्य कर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग करेगा और हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), के सभी उपबंधों का उसी प्रकार अनुपालन करेगा जैसा कि वह उस व्यक्ति पर लागू होते हैं जो किसी माल या सेवा या दोनों के प्रदाय के संबंध में कर का भुगतान करने का दायित्व होता है और वह ऐसे विकल्प के प्रयोग किए जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि में भीतर उक्त विकल्प को वापस नहीं लेगा । (ii) लेखक प्रकाशक के सामने प्ररूप जीएसटी आईएनवी-1 में अपने द्वारा जारी किए गए बीजक अनुबंध-11 में विहित घोषणा करेगा ।”
--	--	--

- (ii) क्रम संख्या 14 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, अंत में निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“15	किसी निगमित निकाय को मोटर वाहन को किराए के माध्यम से प्रदान की गई सेवा	किसी निगमित निकाय से भिन्न कोई व्यक्ति जो मोटर वाहनों को किराये पर देने की सेवा पर 2.5% की दर से राज्य कर का भुगतान करता है तथा केवल व्यापार के समान राह में इनपुट सेवा का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है।	कराधेय क्षेत्र में अवस्थित कोई निगमित निकाय।
“16	भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (“SEBI”) की यथा संशोधित	उधारदाता अर्थात् ऐसा व्यक्ति जो अपने नाम से पंजीकृत या अपनी	देनदार अर्थात् ऐसा व्यक्ति जो इस स्कीम

सेक्युरिटीज लेंडिंग स्कीम, 1997 ("स्कीम") के अंतर्गत प्रतिभूतियों को उधार देने की सेवाएं ।	ओर से विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पंजीकृत प्रतिभूति को सेबी की इस स्कीम के अंतर्गत उधार देने के प्रयोजन के लिए किसी अनुमोदित मध्यस्थ के पास जमा करता है ।	के अंतर्गत सेबी के द्वारा अनुमोदित किसी मध्यस्थ से प्रतिभूति को उधार लेता है ।"
--	--	---

(iv) अंत में, निम्नलिखित अनुबंध जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

अनुबंध- I

प्रपत्र

(घोषणा जिसे, लेखक द्वारा, किसी मूल साहित्यिक रचना के संबंध में प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम 14) की धारा 13 की उप धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत आने वाले किसी कापीराइट के प्रयोग अथवा उपभोग की किसी प्रकाशक को अंतरित किए जाने या उसकी अनुमति दिए जाने के माध्यम से किसी सेवा के प्रदाय पर फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत कर का भुगतान करने के विकल्प के प्रयोग के लिए प्रथम नवंबर, 2019 से प्रभावी होने के लिए 31 अक्टूबर, 2019 को या उससे पूर्व या किसी वित्तीय वर्ष से प्रभावी होने के लिए उस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के पूर्व दायर किया जाना है।)

संदर्भ संख्या

तिथि

सेवा में,

.....

.....

.....

(अधिकारिता वाले आयुक्त को संबोधित किया जाना है)

1. लेखक का नाम :
2. लेखक का पता :
3. लेखक का जीएसटीआईएन :

घोषणा

1. मैंने हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) के अधीन पंजीकरण ले लिया है, और मैं, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 48/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, सारणी में, क्रम संख्या 9क के खाना (2) के सामने निर्दिष्ट सेवा पर, हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 (1) के अनुसार राज्य कर का भुगतान फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत करने के विकल्प का प्रयोग करता हूँ, और हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) के सभी उपबंधों का उसी प्रकार से अनुपालन करूँगा, जैसे वे किसी माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए दायी व्यक्ति पर लागू होते हैं;
2. मुझे यह भी पता है कि इस विकल्प को, एक बार प्रयोग करने के बाद, विकल्प का प्रयोग करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और यह कम से कम जिस वर्ष इसे स्वीकार किया गया है उस वर्ष के आगामी वित्तीय वर्ष के अंत तक, वैध रहेगा ।

हस्ताक्षर

नाम

जीएसटीआईएन

स्थान

तिथि

अनुबंध II

(घोषणा लेखक द्वारा बीजक में की जानी है जिसने फॉरवर्ड चार्ज के अंतर्गत किसी मूल साहित्यिक रचना के संबंध में प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम 14) की धारा 13 की उप धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत आने वाले कापीराइट के प्रयोग या उसके उपभोग की किसी प्रकाशक को अंतरण या अनुमति दिए जाने के माध्यम से उक्त लेखक द्वारा की गई सेवा के प्रदाय पर कर के भुगतान के विकल्प का चयन किया हो।)

घोषणा

मैंने फॉरवर्ड चार्ज के अधीन हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 48/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, सारणी में, क्रम संख्या 9क के खाना (2) के सामने निर्दिष्ट सेवा पर राज्य कर का भुगतान करने के विकल्प का उपयोग किया है।

2. यह अधिसूचना दिनांक प्रथम अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 1st October, 2019

No. 89/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 48/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 48/ST-2, dated the 30th June, 2017, -

In the Table, -

- (i) for serial number 9 and the entries thereagainst, the following serial number shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“9.	Supply of services by a music composer, photographer, artist or the like by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright covered under clause (a) of sub-section (1) of section 13 of the Copyright Act, 1957 relating to original dramatic, musical or artistic works to a music company, producer or the like.	Music composer, photographer, artist, or the like	Music company, producer or the like, located in the taxable territory.”;
“9A	Supply of services by an author by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright covered under clause (a) of sub-section (1) of section 13 of the Copyright Act, 1957 relating to original literary works to a publisher.	Author	Publisher located in the taxable territory: Provided that nothing contained in this entry shall apply where, - (i) the author has taken registration under the